न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 92/2015

1. इशाक पुत्र अस्तअली, जाति कायामखानी निवासी पीथुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं
2. जंगशेर पुत्र अस्तअली, जाति कायामखानी निवासी पीथुसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. सन्तार पुत्र अब्दुल जाजि व्यापारी मुसलमान निवासी पीथुसार तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–रेस्पोडेन्ट्स

बखिलाफ निर्णय तहसीलदार मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम इशाक, जंगशेर पुत्र अस्तअली मु0न0 08ए/2015 अन्तर्गत धारा 91 राज0ले0रे0 एक्ट निर्णय दिनांक 03.07.2015

उपस्थिति :–

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट – अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट– – रेस्पोडेन्ट न0 01 की ओर से।
3. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट न0 02 की ओर से।

– निर्णय – दिनांक–06.11.2017

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी जंगशेर ने उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यंहा से अपनी भूमि पर स्थगन ले रखा है तथा अपनी भूमि में दिवार बनार खी है। अदालत मातहत अपीलार्थी की भूमि की दीवार तोडना चाहता है। उक्त भूमि बाबत पूर्व में नपती भी हुई है जिसके मुताबिक अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। अदालत मातहत ने गैर मुमकीन सड़क पर अतिक्रमण गलत माना है। उक्त सड़क मलसीसर से टमकोर जाने वाली सड़क है जिस पर सारे दिन आवागमन चलता रहता है तथा सड़क की बाउण्डरी में कोई भी अतिक्रमण नही है। फर्द मौका रिपोर्ट के मुताबिक ख0न0 149 सतार पुत्र अब्दुल की खातेदारी की भूमि मान रहे है तथा अलग–अलग नपती में अलग–अलग बाते दर्शा रहे है। सतार ने जो प्रार्थना–पत्र दिया उसमें ख0न0 149 अपने खातेदारी की भूमि मान रहा है तथा अदालत मातहत ने मौका की स्थिति देखे बिना ही निर्णय पारित किया है। ख0न0 149 बाबत उक्त सतार ने डिक्री भी ले रखी है। उसके बावजुद उक्त भूमि को सड़क की भूमि मान

है। अदालत मातहत ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तके विरूद्ध जारक निर्णय पारित किया है दिनांक 23.06.2015 को नोटिस दिया तथा दिनांक 03.07.2015 को निर्णय पारित कर दिया तथा दिनांक 23.06.2015 को ही जारी किया सम्पूर्ण कार्यवाही अदालत मातहत की दुर्भावना को दर्शाती है। तीनो फर्द मौका रिपोर्ट अलग–अलग है ख0न0 149 को कभी सतार की भूमि मान रहे है कभी गैर मुमकीन सड़क मान रहे है। सभी तथ्य आपस में विरोधभाषी है। अन्त में अपील पेश कर निवदेन है की अपील सवैकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 03.07.2015 को खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि अपीलार्थी जंगशेर ने उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के यंहा से अपनी भूमि पर स्थगन ले रखा है तथा अपनी भूमि में दिवार बना रखी है। अदालत मातहत अपीलार्थी की भूमि की दीवार तोड़ना चाहता है। उक्त भूमि बाबत पूर्व में नपती भी हुई है जिसके मुताबिक अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। फर्द मौका रिपोर्ट के मुताबिक ख0न0 149 सतार पुत्र अब्दुल की खातेदारी की भूमि मान रहे है तथा अलग–अलग नपती में अलग–अलग बाते दर्शा रहे है। सतार ने जो प्रार्थना–पत्र दिया उसमें ख0न0 149 अपने खातेदारी की भूमि मान रहा है तथा अदालत मातहत ने मौका की स्थिति देखे बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम पीथुसर स्थित राजकीय भूमि ख0न0 149 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकीन सड़क पर अक्रिमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के अनतर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली का एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 03.07.2015 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखली का आदेशि पारित किया है। धारा 91 एल.

आर.एक्ट के प्रावधान केवल सिवायचक भूमि पर लागू हैं । वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि में गै.मु. सड़क दर्ज है जिसमें धारा 91 सपठित धारा 90 ए एल.आर.एक्ट या धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत कार्यवाही की जा सकती है जो हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई। तहसीलदार मलसीसर द्वारा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कहीं भी यह अंकन नहीं कि उन्होंने किस कानून के अन्तर्गत उक्त निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—आदेश—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 उनवान सरकार बनाम इशाक, जंगशेर पुत्र अस्त अली मु0न0 08ए/2015 को निरस्त किया जाता है।पत्रावली तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं